**न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हाथरस**

उपस्थितः–हर्ष अग्रवाल, एच0जे0एस0 (I.D. No.UP 6181)

UPHT010063582019

**विशेष सत्र परीक्षण संख्या–32/2019**

उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम्** 1. चांद खां पुत्र पप्पू उर्फ अशरथ खां
2. अंशू खां पुत्र पप्पू उर्फ अशरथ खां
3. श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम पत्नी पप्पू उर्फ अशरथ खां
निवासीगण हडैला, थाना मुरसान, जनपद हाथरस

अपराध संख्या–206/2019
धारा–323,506 भा0दं0सं0
धारा–3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना–मुरसान, जनपद–हाथरस

**निर्णय**

1. अभियुक्तगण **चांद खां**, **अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के विरूद्व थाना मुरसान, जनपद हाथरस की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 206/2019, अर्न्तगत धारा 323,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उक्त अभियुक्तगण आरोपित व परीक्षित किया गया।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिया आशा देवी पत्नी गुलाब सिंह द्वारा विक्रम सिंह से लिखवाकर तहरीर प्रदर्श क–1 थाना मुरसान जनपद हाथरस पर इस आशय की प्रेषित की गयी कि ''सविनय निवेदन है कि मैं आशा देवी पत्नी गुलाव सिंह निवासी हडैला थाना मुरसान, जिला हाथरस अपने पति गुलाब सिंह पुत्र मंगाराम के साथ दिनांक 04.10.2019 को समय करीब 7.30 बजे सुबह भैंस बांधने जा रहे थे, तभी जैसे ही हम सकूर खां के मकान के सामने पहुंचे भैंस ने गोबर कर दिया तो चांद खां व आशू खां पुत्रगण पप्पू उर्फ अशरथ व कल्लों देवी पत्नी पप्पू उर्फ अशरथ निवासीगण हडैला ने जातिसूचक शब्द चमार, ढेड़

कहते हुये लाठी डंडों से व ईंट पत्थर सरियों से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आकाश, गुलाब सिंह, मान सिंह पुत्र मंगाराम बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट की गयी, जिससे चारों के गंभीर चोटें आयी। छोटेलाल पुत्र परसादीलाल, मीरा देवी पत्नी बनवारीलाल व अन्य लोग आ गये, जिन्हें देखकर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

**3.** उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 04.10.2019 को अपराध संख्या 206 / 2019, अन्तर्गत अर्न्तगत धारा 323,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अभियुक्तगण **चांद खां**, **अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

**4.** प्रकरण की विवेचना, विवेचनाधिकारी द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नकल तहरीर, नकल रपट, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट आशा देवी, आकाश, मान सिंह किया गया। बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादिया, बयान मजरूब गुलाब सिंह, मजरूब आकाश, मजरूब मान सिंह, बयान एफ.आई. आर. छोटेलाल, मीरा देवी, बयान तहरीर लेखक विक्रम सिंह अंकित किये गये। निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा समाई साक्ष्य अंकित किये गये। मजरूब गुलाब सिंह की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बयान चिकित्सक जी.के. सारस्वत अंकित किये गये। बयान अभियुक्तगण चांद खां, आशू खां, कल्लो देवी अंकित किये गये। तदोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां व श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 323,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

**5.** अभियुक्तगण **चांद खां**, **अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के उपस्थित आने पर उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं। तदुपरान्त दिनांक 13.01.2020 को अभियुक्तगण **चांद खां**, **अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 323,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार करते हुये, विचारण की याचना की।

**6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथनों के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षीगण–**

| कमांक | साक्षी का नाम | साक्षी का प्रकार |
|---|---|---|
| पी.डब्लू. 1 | आशा देवी | वादिया |
| पी.डब्लू. 2 | मान सिंह | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी.डब्लू. 3 | गुलाब सिंह | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी.डब्लू. 4 | आकाश | चुटैल साक्षी |
| पी.डब्लू. 5 | श्रीमती मीरा | तथ्यगत साक्षी |
| पी.डब्लू. 6 | छोटेलाल | तथ्यगत साक्षी |
| पी.डब्लू. 7 | डॉ0 गोपाल कृष्ण | चिकित्सक साक्षी |
| पी.डब्लू. 8 | विक्रम सिंह | तहरीर लेखक |
| पी.डब्लू. 9 | डॉ0 जितेन्द्र कुमार मल्होत्रा | चिकित्सक साक्षी |
| पी.डब्लू. 10 | एच.सी. 276 सुभाष तोमर | चिक एवं जी.डी. लेखक |
| पी.डब्लू. 11 | अपर पुलिस आयुक्त योगेश कुमार | विवेचक |

**7. अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित अभियोजन प्रपत्र–**

| प्रदर्श संख्या | अभियोजन प्रपत्र | साबित करने वाला साक्षी |
|---|---|---|
| क–1 | तहरीर | पी.डब्लू. 1 |
| क–2 | चुटैल मान सिंह की आहत आख्या | पी.डब्लू. 7 |
| क–3 | चुटैल आकाश की आहत आख्या | पी.डब्लू. 7 |
| क–4 | चुटैल आशा देवी की आहत आख्या | पी.डब्लू. 7 |
| क–5 | चुटैल गुलाब सिंह की आहत आख्या | पी.डब्लू. 9 |
| क–6 | चिक रिपोर्ट | पी.डब्लू. 10 |
| क–7 | जी.डी. | पी.डब्लू. 10 |
| क–8 | नक्शा नजरी | पी.डब्लू. 11 |
| क–9 | आरोप पत्र | पी.डब्लू. 11 |

उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. **साक्षी पी0डब्लू0–1 आशा देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 04.10.2019 समय सुबह करीब 7.30 को मैं अपने पति के साथ भैंस बांधने जा रही थी। मैं जैसे ही सकूर खान के घर के पास पहुंची तभी भैंस ने गोबर कर दिया। चांद, आशू, कल्लो इसी बात पर नाराज होकर हमें गाली गलौज दी कि साली, चमार, ढेड़ा, उसके बाद यह डण्डा निकाल कर ले आये तो हमें लाठी डन्डों व ईंट पत्थरों से मारा पीटा तथा सरिया से भी मारा था। शोर सुनकर मान सिंह व आकाश बचाने आये तो इनको भी इन तीनों लोगों ने मारापीटा। हम चारों को चोटें आ गयी थीं। तब छोटेलाल व मीरा

बचाने आये तो फिर इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी तथा भाग गये। घटना की रिपोर्ट मैंने बोलकर अपने गांव के विक्रम सिंह से लिखवाई थी और विक्रम सिंह ने रिपोर्ट मुझे पढ़कर सुनायी थी। तभी मैंने उस पर अंगूठा निशानी लगायी थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4क/3 है, इस पर मैं अपने अंगूठा निशानी की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। हम सभी लोगों की डॉक्टरी अस्पताल में हुयी थी। गुलाब सिंह की डॉक्टरी हाथरस में हुयी थी, क्योंकि गुलाब सिंह के ज्यादा चोटें थीं। हम सभी की डॉक्टरी मुरसान में हुयी थी। मैंने यह सारी बातें सी.ओ. साहब को बतायी थीं। हम लोग जाटव जाति के हैं तथा मुल्जिमान मुसलमान हैं।

बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

उक्त साक्षी द्वारा दिनांक 23.11.2020 को बयान दिया है कि दिनांक 04.10.2021 को मैं और मेरे पति भैंस बांधने जा रहे थे। मेरे व मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। भैंस का गोबर करते ही कल्लो, आशू आ गये। जब हम दोनों ही थे, जब हमें गाली गलौज व जातिसूचक शब्द कहे थे। दिनांक 03.10.2019 को मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मेरा दिनांक 03.10.2019 को मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मेरा दिनांक 03.10.2019 को सुबह 6 बजे कूड़ा डालने गयी हूँ और इसी बात पर चांद खां बगैरा से झगड़ा हुआ हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 04.10.2019 को सुबह 6 बजे दिनांक 03.10.2019 की घटना के बारे में घर में घुसकर के गुलाब सिंह, बलवीर आदि ने गन्दी गन्दी गालियां दी हों। यह कहना गलत है कि बलवीर और छोटे ने कल्लो को बदनीयती से पकड़ा हो और घर में आग लगायी हो। जो मुकदमा कल्लो ने न्यायालय में डाल रखा है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

9. **साक्षी पी0डब्लू0–2 मान सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 04.10.2019 समय सुबह 7.30 बजे की है। आशू, चांद व कल्लू ने डंडे व सरिया चलाये थे। लाठी, डंडा आशा देवी, गुलाब सिंह, मान सिंह, आकाश के उपर चलाये थे। आशा देवी भैंस लेकर जा रही थी। भैंस ने गोबर कर दिया, जिसके उपर झगड़ा हुआ था। गोबर अभियुक्तगणों के दरवाजे से आगे कर दिया था, तो उन लोगों ने हमसे चमार, ढेड़ा कहा था। आशू व चांद, कल्लो ने लाठी, डंडों, सरिया सब हमारे उपर चलाये। चोट गुलाब सिंह, आशा देवी, आकाश और मेरे भाई थी। मेरे तीन जगह चोट आयी थी। बाये

बाजू, बाये हाथ व दाहिनी घुटने में चोट आयी थी। हम लोगों को विक्रम, मीरा देवी और भी लोगों ने बचाया। मेरा चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ था। सी.ओ. साहब ने मेरा घटना के दो चार दिन बाद बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

10. **साक्षी पी0डब्लू0–3 गुलाब सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 04.10.2019 को समय सुबह 7.30 बजे की बात है। मैं और मेरी पत्नी आशा देवी भैंसों को बांधने के लिये दूसरी जगह पर ले जा रहे थे। जैसे ही हम सकूर खान के मकान के पास पहुंचे तो भैंस ने गोबर कर दिया। इसी से नाराज होकर चांद खां, आशू खां व कल्लो देवी ने हमें गाली देना शुरू कर दिया तथा जातिसूचक शब्द भी कहे तथा लाठी, डंडों, सरियों से हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारा शोरगुल सुनकर लीला देवी, बनवारीलाल, मानसिंह व आकाश, मेरी पत्नी आशा देवी तथा भाई मान सिंह के चोटें आयी तथा मुल्जिमान जाते समय हमें जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल हाथरस में हुआ था। मेरे सिर में व हाथ पैरों में गुम चोट आयी थीं। मेरे पुत्र आकाश के तथा मेरी पत्नी आशा देवी के भी चोटें आयी थीं व मेरे भाई मानसिंह के भी चोटें आयी थीं। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

11. **साक्षी पी0डब्लू0–4 आकाश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 04.10.2019 की है। सुबह साढ़े सात बजे की बात है। मेरे मम्मी पापा भैंसों को बांधने प्लॉट में जा रहे थे। शकूर खां के घर के आगे हमारी भैंस ने गोबर कर दिया। इसी बात पर चांद खां, आशू, कल्लो देवी आ गये तो उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा के साथ मारपीट की। उनकी चीख पुकार सुनकर मैं व मेरे ताऊ बचाने गये थे, तो उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट की थी और जातिसूचक शब्द चमार, ढेड़ा कहकर गालियां दी, तभी गांव के छोटेलाल व मीरा देवी व अन्य लोग आ गये। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। मेरे चोटें आयी थीं। मेरा मेडिकल हुआ था। मेरे एक चोट हाथ में आयी थी तथा दूसरी चोट पैर में आयी थी। मेरे आंख के उपर भी चोट आयी थी। सी. ओ. साहब ने मेरा घटना के 3–4 दिन बाद बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

12. **साक्षी पी0डब्लू0–5 श्रीमती मीरा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि गुलाब सिंह रिश्ते मे मेरे जेठ लगते हैं। दिनांक 04.10.2019 को सुबह साढ़े सात बजे गुलाब सिंह व उनकी पत्नी भैंसों को बांधने के लिये प्लॉट में ले जा रहे थे, रास्ते में भैंसों ने गोबर कर दिया। इसी बात पर चांद खां, आशू खां व कल्लों ने मिलकर मेरे जेठ गुलाब सिंह जेठानी आशा देवी व जेठ का बेटा आकाश व दूसरे जेठ मान सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे, उनकी चीख पुकार पर मैं व मौहल्ले के काफी लोग आ गये। उक्त तीनों लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उक्त तीनों लोग मेरे जेठ, जिठानी को जातिसूचक शब्द चमार, ढेड़ा कहकर गालियां भी देकर गये थे। पुलिस ने मेरा बयान घटना वाले दिन व घटना के 3–4 दिन बाद लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी है।

13. **साक्षी पी0डब्लू0–6 छोटेलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना को चार वर्ष चार माह हो गये हैं। समय करीब साढ़े सात बजे सुबी की है। गुलाब सिंह व उनकी पत्नी भैंस बांधने जा रहे थे। रास्ते में शकूर खां के घर के सामने भैंस ने गोबर कर दिया था। इसी बात पर चांद खां, आशू खां, कल्लों देवी ने गुलाब सिंह व उनकी पत्नी व लड़का आकाश व भाई मानसिंह के साथ मारपीट कर दी। चीख पुकार सुनकर हम लोग पहुंचे तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। मारपीट लाठी डंडों से की थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। घटना में मानसिंह, आकाश, आशा देवी, गुलाब सिंह के चोटें आयी थीं और गुलाब सिंह के भी चोटें आयी थीं।

बचाव पक्ष की तरफ से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी।

14. **साक्षी पी0डब्लू0–7 डॉ0 गोपाल कृष्ण सारस्वत** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 04.10.2019 को मैं सी.एस.सी. मुरसान में तैनात था। उसी दिन समय करीब 11.05 पर **मजरूब मान सिंह पुत्र स्व0 मंगाराम** उम्र करीब 50 वर्ष निवासी हडैला थाना मुरसान जनपद हाथरस को एच.सी. 355 राजकुमार लेकर आया था। पहचान के रूप में मजरूब के एक काला तिल हसली के सीधी तरफ था। मजरूब के शरीर पर चोटों का विवरण इस प्रकार है–

**1. खुरसट जिसका आकार 6 गुणा .6 सेमी, बाये हाथ की कोहनी से 12 सेमी नीचे था। चोट की बनावट लम्बाई में थी। हल्का हल्का रक्तस्त्राव हो रहा था।**

**2. सूजन आकार 5 गुणा 3 सेमी जो बायी हथेली के पृष्ठ भाग पर बनावट में**

**गोलाकार, हल्का रक्तस्त्राव मौजूद था।**

**3. खुरसट आकार 3 गुणा 2 सेमी यह सीधे पैर के बाह्य भाग पर व टखने के 19 सेमी उपर था। बनावट अनियमित, इसमें कोई रक्तस्त्राव नहीं था।**

चोट संख्या 1 व 3 साधारण प्रकृति की थीं। चोट संख्या 2 के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। सभी चोटें 4 से 5 घंटे पुरानी थीं, सख्त, कठोर वस्तु से आना संभव है। मजरूब मानसिंह की चिकित्सीय रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

मजरूब **आकाश पुत्र गुलाब सिंह** उम्र 16 र्वा निवासी हडैला थाना मुरसान जनपद हाथरस को भी एच.सी. 355 राजकुमार शर्मा लेकर आये थे और उक्त मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण भी मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के शरीर पर एक काला तिल हसली के बायी ओर था। मजरूब के शरीर पर चोट इस प्रकार थी–

**1. सूजन साइज 3 गुणा 4 सेमी माथे पर बायी तरफ, बायी आई ब्रो/भौं से 2 सेमी उपर था। बनावट में गोलाकार व हल्का रक्तस्त्राव उपस्थित था।**

**2. खुरसट आकार 1 गुणा 1 सेमी बायी बाजू पर कुहनी से 13 सेमी नीचे था। बनावट लम्बवत थी। कोई रक्तस्त्राव नहीं था।**

**3. खुरसट आकार 3 गुणा 3 सेमी बनावट अनियमित, यह दाये पैर में दाये टखने से 6 सेमी उपर थी, कोई रक्तस्त्राव नहीं है।**

सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। चार से पांच घंटे पुरानी थीं। सख्त व कुन्द हथियार से आना संभव है। मजरूब आकाश की चिकित्सीय रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

दिनांक 04.10.2019 को ही मजरूबा **श्रीमती आशा पत्नी गुलाब सिंह** उम्र 40 वर्ष निवासी हडैला थाना मुरसान जनपद हाथरस में एल.सी. 272 शिल्पी लेकर आयी थी। मजरूब के शरीर पर एक काला तिल सीधी गाल पर मुंह से चार सेमी बाहर की तरफ था। मजरूबा के शरीर पर 2 चोटें थीं।–

**1. फटा हुआ आकार 1 गुणा .4 सेमी जो त्वचा तक गहरा था। सिर के पिछले भाग में बायी तरफ बाये कान से 7 सेमी उपर था। अनियमित बनावट थी, रक्तस्त्राव मौजूद था।**

**2. सूजन व नीलगू निशान जिसका आकार 3 गुणा 3 सेमी दायी आंख से 1 सेमी नीचे गोलाकार बनावट में थी, रक्तस्त्राव नहीं हो रहा था।**

चोटों की प्रकृति साधारण थी। सभी चोटें 4 से 5 घंटे पुरानी थीं। कुन्द व कठोर हथियार से आना संभव थी। मजरूब श्रीमती आशा की चिकित्सीय रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

बचाव पक्ष की तरफ से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी।

15. **साक्षी पी0डब्लू0–8 विक्रम सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 04.10.2019 को समय करीब आठ साढ़े आठ बजे शामिल पत्रावली कागज संख्या 4क/4 तहरीर मेरे द्वारा लिखी गयी थी। आशा देवी ने जो बोला था, मैंने तहरीर में वही लिखा था। तहरीर मैंने मुरसान में एक दुकान पर लिखी थी, जो थाने के पास है। गवाह को तहरीर पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने आशा देवी के कहने पर लिखी थी, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 पड़ चुका है। तहरीर लिखकर मैंने आशा देवी को दी थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

16. **साक्षी पी0डब्लू0–9 डॉ0 जितेन्द्र कुमार मल्होत्रा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 04.10.2019 को मैं बागला चिकित्सालय में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर ड्यूटी पर था। उसी दिन समय 11 ए.एम. मजरूब **गुलाब सिंह पुत्र मंगाराम** को एच.जी. 635 सुरेश थाना मुरसान लेकर आया था। मजरूब के शरीर पर पहचान के रूप में एक काला तिल गर्दन की सीध तरफ जड़ में था। मजरूब के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी–

**1. फटा हुआ घाव आकार 5.5 गुणा 0.2 गुणा 0.1 सेमी था, जो राइट वाली भौं से सात सेमी उपर था, उसके मार्जन रफ थे। ताजा खून का धक्का जमा था, जिसके लिये एक्सरे लिये एक्सरे की सलाह दी गयी।**

**2. दो खुरसट क्रमशः 1 गुणा 0.8 सेमी व 1 गुणा 0.7 सेमी थी, जो सीधे घुटने के सामने थी, उसमें हड्डी में दबाने में दर्ज नहीं था।**

**3. हल्की सी खुरसट दायी कोहनी के पीछे थी।**

**4. दर्द की शिकायत दायी भुजा में बता रहा था, चोट नहीं थी।**

**5. दर्द की शिकायत बायी तरफ कन्धे के पीछे बता रहा था, चोट नहीं थी।**

**6. दाये अंगूठे व हाथ में अंगूठे के वेस में दर्द था।**

चोट संख्या 1 के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। सभी चोटें साधारण थी, चोटे सभी ताजा थीं, कुन्द व कठोर वस्तु से आना संभव है। मजरूब गुलाब सिंह की चिकित्सीय रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। चिकित्सीय रिपोर्ट पर मजरूब की निशानी अंगूठा लगायी गयी, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है।

बचाव पक्ष की तरफ से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी।

17. **साक्षी पी0डब्लू0–10 एच.सी. सुभाष तोमर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 04.10.2019 को मैं थाना मुरसान पर बतौर सी.सी. तैनात था। उसी दिन वादिया मुकदमा आशा देवी पत्नी गुलाब सिंह निवासी हडेला थाना मुरसान हाथरस की हस्तलिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 206/2019 अन्तर्गत धारा 323,506 व धारा 3(2)(va) एस.सी. /एस.टी. एक्ट बनाम चांद खां आदि पंजीकृत हुआ, जिसकी चिक एफ.आई.आर. मेरे द्वारा कां. इरफान से बोल बोलकर कम्प्यूटर पर टंकित करायी थी। चिक एफ.आई.आर. पत्रावली में 4क/1 लगायत 4क/2 है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। उक्त केस का दाखिला जी.डी. संख्या 15 समय 09.05 को दिनांकित 04.10.2019 में किया गया था। जी.डी. चिक एफ.आई.आर. के साथ तैयार की गयी है, जो पत्रावली में कागज संख्या 4क/6 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

बचाव पक्ष की तरफ से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी।

18. **साक्षी पी0डब्लू0–11 योगेश कुमार अपर पुलिस आयुक्त** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 04.10.2019 को मैं हाथरस जनपद के सादाबाद में क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को ही मैंने उक्त केस की विवेचना ग्रहण कर सी.डी. नम्बर 1 किता की थी, जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट आशा देवी, आकाश, मानसिंह किया गया और बयान एफ.आई.आर. लेखक सुभाष तौमर अंकित किया गया। सी.डी. नम्बर 2 दिनांक 07.10.2019 को किता किये गये, जिसमें बयान वादिया आशा देवी, बयान मजरूब गुलाब सिंह, मजरूब आकाश, मजरूब मानसिंह, बयान गवाह एफ. आई.आर. छोटेलाल, मीरा देवी, तहरीर लेखक विक्रय सिंह, निरीक्षण घटनास्थल, समाई साक्ष्य अंकित किये गये। सी.डी. नम्बर 3 दिनांक 24.10.2019 को किता की गयी, जिसमें मजरूब गुलाब सिंह की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन किया गया। सी.डी. नम्बर 4 दिनांक 01.11.2019 को किता की गयी, जिसमें

बयान गवाह डॉक्टर जी.के. सारस्वत अंकित किये गये और अभियुक्तगण की जमानत का रोबकार प्राप्त कर संलग्न सी.डी. किया गया। सी.डी. नम्बर 5 दिनांक 04.11.2019 को बयान अभियुक्त चांद खां, आशु खां, कल्लो देवी अंकित किये गये और अभियुक्तगण चांद खां, अंशू खां, श्रीमती कल्लो देवी के विरूद्ध धारा 323,504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत आरोप पत्र संख्या 135/2019 दिनांक 04.11.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क नक्शा नजरी पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पत्रावली में शामिल आरोप पत्र कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/7 के रूप में शामिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

बचाव पक्ष की तरफ से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी।

**19.** अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षीगण का साक्ष्य अंकित कराये जाने के उपरान्त दिनांक 05.06.2026 को पत्रावली के आदेश पत्र पर अपना साक्ष्य समाप्त करने का पृष्ठांकन किया गया, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली धारा 313 दं.प्र.सं. हेतु नियत की गयी।

**20.** दिनांक 30.06.2026 को अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां व श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये साक्षीगण पी. डब्लू. 1 लगायत 6, 8 के बयान को गलत बताया गया। पी.डब्लू. 7, 9, 10 के बयान के सम्बन्ध में गलत प्रपत्र तैयार कर गलत बयान दिया जाना तथा पी. डब्लू. 11 द्वारा वसाज वादी निष्पक्ष विवेचना नहीं करने तथा झूठा आरोप पत्र दिया जाना कहा गया है और यह कहा गया है कि अभियुक्ता कल्लो देवी के साथ वादिया के घर के आदमियों ने मारपीट, छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी दी थी, इसी अपराध से बचने के लिये कानूनी सलाह से गलत मामला बनाकर अभियुक्तगण को फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।

**21.** बचाव पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त 19ख से परिवाद संख्या 1716/2019 कल्लो बनाम बलवीर सिंह में पारित आदेश दिनांक 06.03.2023 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 19ख/3 दाखिल की गयी है, जिसमें अभियुक्तगण बलवीर, छेटे, बनवारी, मानसिंह, गुलाब को धारा 354,323,506 भा0दं0सं0 के

तहत विचारण हेतु तलब किया गया है। उक्त परिवाद पत्र की सत्यप्रलिपि कागज संख्या 19ख/5 लगायत 19ख/6 दाखिल किया गया है।

**22.** अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक का समर्थन गवाहों द्वारा किया गया है। तथ्यों के कुल छः गवाह परीक्षित कराये गये हैं, जिनके द्वारा वादी व उनकी पत्नी के साथ हुई घ टना को साबित किया गया है। सभी गवाहों द्वारा एक स्वर से अपने बयानों द्वारा घटना का समर्थन किया गया है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना पूरी तरह साबित है। अभियुक्तगण सजा पाने के अधिकारी हैं।

**23.** प्रस्तुत मामले में गवाह पी.डब्लू.–1 द्वारा अपने सशपथ बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि दिनांक 04.10.2019 समय सुबह करीब 7.30 को वह अपने पति के साथ भैंस बांधने जा रही थी, जैसे ही सकूर खान के घर के पास पहुंची, तभी भैंस ने गोबर कर दिया। अभियुक्तगण चांद, आशू, कल्लो इसी बात पर नाराज होकर गाली गलौज दी कि साली, चमार, ढेड़ा, उसके बाद यह डण्डा निकाल कर ले आये तो हमें लाठी डन्डों व ईंट पत्थरों से मारा पीटा तथा सरिया से भी मारा था। शोर सुनकर मान सिंह व आकाश बचाने आये तो इनको भी इन तीनों लोगों ने मारापीटा। हम चारों को चोटें आ गयी थीं। तब छोटेलाल व मीरा बचाने आये तो फिर इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी तथा भाग गये। घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा बोलकर अपने गांव के विक्रम सिंह से लिखवाई थी और विक्रम सिंह ने रिपोर्ट मुझे पढ़कर सुनायी थी।

**24.** उपरोक्त साक्ष्यों की सम्पुष्टि गवाह पी.डब्लू. 2 द्वारा की गयी है, जिसके द्वारा भी अभियुक्तगण द्वारा भैंस के गोबर कर देने पर झगड़ा होने के साक्ष्य साबित किये हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोबर अभियुक्तगण के दरवाजे के आगे कर दिया गया था, इस पर उन्होंने चमार, ढेड़ कहा और जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया। अभियुक्तगण अपने हाथों में लाठी डण्डे सरिया लेकर आ गये, जिससे गुलाब सिंह, आशा देवी, आकाश व मान सिंह को चोटें आयीं। ऐसी परिस्थितियों में गवाह द्वारा घटना की सम्पुष्टि की है।

**25.** अन्य गवाह पी.डब्लू. 3 लगायत 6 द्वारा भी गवाह पी.डब्लू. 1 व 2 के साक्ष्यों की सम्पुष्टि की है। गवाह पी.डब्लू. 2 ने उसके सिर में और हाथ–पैरों में गुम चोट आने का साक्ष्य साबित किया है।

**26.** गवाह पी.डब्लू. 4 आकाश द्वारा भी अभियुक्तगण द्वारा उसके मम्मी–पापा आदि

लोगों के साथ मारपीट करने, चीख पुकार पर उसके स्वयं व ताऊ के पहुंचने पर उनके साथ भी मारपीट करने और जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने के साक्ष्य साबित किये हैं। ऐसे में गवाह द्वारा घटना का समर्थन किया है।

**27.** गवाह पी.डब्लू. 5 द्वारा उसके जेठ–जेठानी के साथ घटना कारित होने के साक्ष्य सम्पुष्ट किये हैं और गवाह पी.डब्लू. 6 छोटेलाल द्वारा भी भैंस के गोबर जैसी छोटी घटना पर अभियोजन द्वारा वादी पक्ष के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने, जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देकर चले जाने के साक्ष्य को सम्पुष्ट किया है। ऐसे में घटना पूरी तरह साबित होती है।

**28.** गवाह पी.डब्लू. 7 व 9 चिकित्सक साक्षीगण के बयानों से चुटैलों को आयी चोटों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है और कहीं भी यह साबित नहीं किया है कि चुटैलों को आयी चोटें फर्जी व बनावटी हों।

**29.** इस बात पर भी बल दिया गया है कि मौखिक साक्ष्यों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों से हुई है। गवाह पी.डब्लू. 7 व 9 द्वारा सभी चुटैलगण को आई चोटों का विवरण अंकित किया है, जो उनकी मौखिक साक्ष्य से मेल खाता है। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना पूरी तरह साबित है। अभियुक्तगण सजा पाने के अधिकारी हैं।

**30.** प्रस्तुत मामले में इस बात पर भी बल दिया गया है कि घटना दिनांक 04.10.2019 की है, जो सुबह 07:30 बजे कारित हुई और बिना समय गंवाये दिनांक 04.10.2019 को ही सुबह 09:05 बजे मुकदमा थाने पर पंजीकृत करा दिया गया। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में किसी प्रकार का कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। घटना पूरी तरह विश्वसनीय साबित होती है।

**31.** इस बात पर भी बल दिया गया है कि घटना क्योंकि वादी पक्ष के लोगों के साथ कारित हुई। ऐसे में घर के लोग ही साक्षी के रूप में आगे आयेंगे। यदि गवाह हितबद्ध साक्षीगण हैं और आपस में सगे रिश्तेदार हैं, तब इस आधार पर साक्षीगण को अविश्वसनीय मानकर उनकी साक्ष्यों पर संदेह करना न्यायोचित् नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भी गवाहों के द्वारा घटना साबित करने के आधार पर अभियुक्तगण सजा पाने के अधिकारी हैं।

**32.** मामले में हेतुक व मोटिव भी साबित करते हुए बताया गया है कि वादी की भैंस द्वारा गोबर अभियुक्तगण के दरवाजे पर कर दिये जाने के आधार पर अकस्मात्

अभियुक्तगण ने वादी पक्ष पर लाठी–डण्डों एवं सरियों से आक्रमण कर दिया, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयीं, जिसकी सम्पुष्टि मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से की गयी है। ऐसे में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

**33.** गवाह पी.डब्लू. 8, 10 व 11 द्वारा पुलिस प्रपत्रों को साबित किया है और गवाहों के बयानों के आधार पर साक्ष्य साबित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में भी अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है।

**34.** उपरोक्त तर्कों के विरोध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें मामले में झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। वास्तव में जो घटना बतायी गयी है, ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई। वाद–विवाद में घटना को बढ़ा–चढ़ाकर बताते हुए झूंठे साक्ष्य हितबद्ध होकर न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये हैं, जिनके आधार पर अभियुक्तगण संदेह का लाठा पाने के अधिकारी हैं।

**35.** मामले में इस बात पर भी बल दिया गया है कि भैंस के गोबर करने के आधार पर अभियुक्तगण ने किसी प्रकार की कोई मारपीट व कहासुनी नहीं की। स्पष्ट रूप से गवाह पी.डब्लू. 1 ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से उनकी पूर्व में कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं है। मौके पर आकाश व मान सिंह को कौन बुलाकर लाया, उसे नहीं पता। ऐसे में इस बात पर भी न्यायालय का ध्यान दिलाया है कि वादिनी का कहना है कि उसकी पूरी साड़ी खून में सन गयी थी, ब्लाउज भी पूरी तरह खून में सन गया था, किन्तु ऐसा कोई कपड़ा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। गवाह पी.डब्लू. 2 ने पृष्ठ संख्या 4 पर यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर घटना के समय वह और उसके पिता थे, अन्य कोई आदमी नहीं था। ऐसे में अन्य गवाह की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है। इस बयान की पुनर्पुष्टि गवाह पी.डब्लू. 1 द्वारा पृष्ठ संख्या 5 पर भी की है। ऐसे में गवाह के साक्ष्यों को साबित नहीं माना जा सकता।

**36.** अन्य गवाह हितबद्ध साक्षी हैं, आपस में सगे रिश्तेदार हैं, जिनके द्वारा रिश्तेदारी निभाने के लिए सही बात न्यायालय में नहीं बतायी है। घटना को बढ़ा–चढ़ाकर साबित किया है, जिसके फलस्वरूप साक्षीगण विश्वास किये जाने योग्य नहीं हैं। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

**37.** गवाह पी.डब्लू. 7 डॉक्टर के बयानों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि जिस

प्रकार की चोट वादी पक्ष के शरीर पर आना बताया है, वह सख्त व बिना धार की वस्तु से आना बताया है, किन्तु ऐसा कोई भी हथियार न तो वादी पक्ष ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है, न ही कोई लाठी डण्डा व सरिया विवेचक द्वारा दिया गया है। इन परिस्थितियों में भी घटना पूरी तरह संदिग्ध साबित होती है और अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

**38.** पुलिसकर्मी साक्षीगण के बयानों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इनके द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है। स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित नहीं किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा भी वादी पक्ष के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया है, इस तथ्य को विवेचना में शामिल नहीं किया है और दिनांक 04.10.2019 को ही अभियुक्तगण के साथ भी वादी पक्ष ने घटना कारित की थी, जिसका मुकदमा अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थितियों में यह मुकदमा मात्र बदले की कार्यवाही करते हुए लिखाया गया है, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

**39.** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया।

**40.** प्रस्तुत मामले में गवाहों ने जो बयान दिये हैं, उसमें पी.डब्लू. 1 लगायत 6 जो तथ्य के साक्षी हैं, उनके द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। पी.डब्लू. 1 द्वारा अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुये कहा गया है कि दिनांक 04.10. 2019 समय सुबह करीब साढ़े सात बजे साक्षिया अपने पति के साथ भैंस बांधने जा रही थी, जैसे ही सकूर खां के घर के पास पहुंची तो भैंस ने गोबर कर दिया। चांद, आशू, कल्लो इसी बात पर नाराज होकर गाली गलौज करने लगे तथा चमार ढेड़ा कहने लगे तथा लाठी, डंडो, ईंट, पत्थरों, सरिया से मारापीटा। शोर सुनकर मानसिंह, आकाश बचाने आये तो इनके साथ भी मारपीट की। चारों को चोटें आयी थीं। छोटेलाल व मीरा बचाने आये तो जान से मारने की धमकी दी और भाग गये। घटना की रिपोर्ट साक्षिया द्वारा अपने गांव के विक्रम सिंह से लिखवाई थी।

**41.** पी.डब्लू. 2 अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुये कहा गया है कि घटना दिनांक 04.10. 2019 समय सुबह साढ़े सात बजे की है, आशू, चांद व कल्लों ने आशा देवी, गुलाब, सिंह, मान सिंह, आकाश पर सरिया व डंडे चलाये थे। आशा देवी की भैंस ने अभियुक्तगण के दरवाजे के आगे गोबर कर दिया था, जिस पर झगड़ा हुआ था। अभियुक्तगण ने चमार, ढेड़ा भी कहा था। गुलाब सिंह, आशा

देवी, आकाश व साक्षी के चोट आयी थी। साक्षी तथा अन्य चुटैलों को विक्रम, मीरा देवी व अन्य लोगों ने बचाया था।

**42.** पी.डब्लू. 3 गुलाब सिंह द्वारा अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुये कहा गया है कि घटना दिनांक 04. 10.2019 समय सबह साढ़े सात बजे की है। आशा देवी भैंस को बांधने जा रही थी, भैंस ने सकूर खां के घर के आगे गोबर कर दिया, जिस पर झगड़ा हुआ था। इसी से नाराज होकर अभियुक्तगण ने गालियां दी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया तथा लाठी डंडा, सरिया से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर लीला देवी, मान सिंह इत्यादि बचाने आये थे। साक्षी, आकाश, आशा देवी व मान सिंह को चोटें आयी। अभियुक्तगण जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गये थे।

**43.** पी.डब्लू. 4 द्वारा अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुये कहा गया है कि घटना दिनांक 04.10. 2019 की सुबह साढ़े सात बजे की है। साक्षी के मम्मी, पापा भैंसों को प्लॉट में बांधने जा रहे थे। शकूर खां के घर के आगे भैंस ने गोबर कर दिया। इसी बात पर अभियुक्तगण आ गये और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। चीख पुकार पर साक्षी व उसके ताउ बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। गांव के छोटेलाल व मीरा देवी आ गये थे। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। साक्षी के चोटें आयी थी, उसका मेडिकल हुआ था।

**44.** पी.डब्लू. 5 द्वारा अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुये कहा गया है कि गुलाब सिंह रिश्ते में साक्षी के जेठ लगते हैं। दिनांक 04.10.2019 को गुलाब सिंह व उनकी पत्नी भैंसों को बांधने के लिये प्लॉट में ले जा रहे थे। रास्ते में भैंस ने गोबर कर दिया, इसी बात पर अभियुक्तगण ने मिलकर साक्षिया के जेठ गुलाब सिंह, आशा देवी, आकाश व मानसिंह के साथ मारपीट की। चीख पुकार पर साक्षिया तथा मौहल्ले के अन्य लोग आ गये। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। अभियुक्तगण द्वारा साक्षिया के जेठ, जेठानी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित भी किया।

**45.** पी.डब्लू. 6 द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन करते हुये कहा गया है कि घटना को चार वर्ष चार माह हो गये हैं। गुलाब सिंह व उनकी पत्नी भैंसों को बांधने के लिये ले जा रहे थे। रास्ते में भैंस ने शकूर खां के घर के सामने गोबर कर दिया, इसी बात पर अभियुक्तगण ने मिलकर गुलाब सिंह, आशा देवी, आकाश व मानसिंह के साथ मारपीट की। चीख साक्षी मौके पर पहुंचा।

अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। घटना में मान सिंह, आकाश, आशा देवी, गुलाब सिंह को चोटें आयी थीं।

**46.** मामले में यह न्यायालय इस मत का है कि गवाह ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं। ऐसे में गवाहों के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास आ जाना सम्भव है। कुछ गवाह अंगूठाछाप हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यदि गवाहों ने सूक्ष्म विरोधाभासी बयान अंकित कराये हैं, तब भी विश्वसनीय साक्ष्य हैं।

**47.** यह न्यायालय इस मत का भी है कि मामले में गवाह आपस में रिश्तेदार हैं, एक ही गांव के हैं और हितबद्ध साक्षी की श्रेणी के हैं, किन्तु अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रत्येक गवाह से जिरह का विस्तृत अवसर प्राप्त हुआ और हर गवाह से लम्बी–लम्बी जिरह की गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गलत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये हैं।

**48.** मामले में जो साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन किया है और मौखिक साक्ष्यों द्वारा घटना की सम्पुष्टि की गयी है, उसके आधार पर घटना पूरी तरह साबित होती है। मौखिक साक्ष्यों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा भी होती है। ऐसा कोई भी तर्क अथवा साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से नहीं दिया गया है कि वास्तव में वादी पक्ष को जो चोटें आयी, वे फर्जी व बनावटी हों और इस घटनाक्रम में न आयी हों। ऐसे में अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

**49.** गवाह पी.डब्लू. 7 द्वारा अपने बयान में **मजरूब मान सिंह पुत्र स्व0 मंगाराम** को निम्नलिखित चोटें होना कहा गया है–

**1. खुरसट जिसका आकार 6 गुणा .6 सेमी, बाये हाथ की कोहनी से 12 सेमी नीचे था। चोट की बनावट लम्बाई में थी। हल्का हल्का रक्तस्त्राव हो रहा था।**

**2. सूजन आकार 5 गुणा 3 सेमी जो बायी हथेली के पृष्ठ भाग पर बनावट में गोलाकार, हल्का रक्तस्त्राव मौजूद था।**

**3. खुरसट आकार 3 गुणा 2 सेमी यह सीधे पैर के बाह्य भाग पर व टखने के 19 सेमी उपर था। बनावट अनियमित, इसमें कोई रक्तस्त्राव नहीं था।**

मजरूब **आकाश पुत्र गुलाब सिंह** को निम्नलिखित चोटें आना बताया गया है–

**1. सूजन साइज 3 गुणा 4 सेमी माथे पर बायी तरफ, बायी आई ब्रो/भौं से 2 सेमी उपर था। बनावट में गोलाकार व हल्का रक्तस्त्राव उपस्थित था।**

**2. खुरसट आकार 1 गुणा 1 सेमी बायी बाजू पर कुहनी से 13 सेमी नीचे था।**

**बनावट लम्बवत थी। कोई रक्तस्त्राव नहीं था।**

**3. खुरसट आकार 3 गुणा 3 सेमी बनावट अनियमित, यह दाये पैर में दाये टखने से 6 सेमी उपर थी, कोई रक्तस्त्राव नहीं है।**

मजरूबा **श्रीमती आशा पत्नी गुलाब सिंह** को निम्नलिखित चोटें आना बताया गया

**1. फटा हुआ आकार 1 गुणा .4 सेमी जो त्वचा तक गहरा था। सिर के पिछले भाग में बायी तरफ बाये कान से 7 सेमी उपर था। अनियमित बनावट थी, रक्तस्त्राव मौजूद था।**

**2. सूजन व नीलगू निशान जिसका आकार 3 गुणा 3 सेमी दायी आंख से 1 सेमी नीचे गोलाकार बनावट में थी, रक्तस्त्राव नहीं हो रहा था।**

**50.** गवाह पी.डब्लू. 9 द्वारा द्वारा अपने बयान में मजरूब **गुलाब सिंह पुत्र मंगाराम** निम्नलिखित चोटें पायी गयी–

**1. फटा हुआ घाव आकार 5.5 गुणा 0.2 गुणा 0.1 सेमी था, जो राइट वाली भौं से सात सेमी उपर था, उसके मार्जन रफ थे। ताजा खून का धक्का जमा था, जिसके लिये एक्सरे लिये एक्सरे की सलाह दी गयी।**

**2. दो खुरसट क्रमशः 1 गुणा 0.8 सेमी व 1 गुणा 0.7 सेमी थी, जो सीधे घुटने के सामने थी, उसमें हड्डी में दबाने में दर्ज नहीं था।**

**3. हल्की सी खुरसट दायी कोहनी के पीछे थी।**

**4. दर्द की शिकायत दायी भुजा में बता रहा था, चोट नहीं थी।**

**5. दर्द की शिकायत बायी तरफ कन्धे के पीछे बता रहा था, चोट नहीं थी।**

**6. दाये अंगूठे व हाथ में अंगूठे के वेस में दर्द था।**

चोट संख्या 1 के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। सभी चोटें साधारण थी, चोटे सभी ताजा थीं, कुन्द व कठोर वस्तु से आना संभव है। मजरूब गुलाब सिंह की चिकित्सीय रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। चिकित्सीय रिपोर्ट पर मजरूब की निशानी अंगूठा लगायी गयी, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है।''

**51.** प्रस्तुत मामले में गवाह पी.डब्लू. 1 के साक्ष्य से यह बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दों से साशय अपमानित किया गया हो। उसके

बयान के अनुसार वह अपने पति के साथ भैंस बांधने जा रही थी, रास्ते में उसकी भैंस ने गोबर कर दिया, इस पर अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज की गयी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। जब उसके द्वारा शोर किया गया, तब अन्य लोग मौके पर पहुंचे। इससे स्पष्ट है कि जब अभियुक्तगण द्वारा उसको जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना बताया गया है, तब केवल वादिया व उसका पति मौजूद थे, कोई अन्य स्वतंत्र व्यक्ति मौजूद नहीं था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत अपराध गठित होने के लिये सार्वजनिक दृष्टि में सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जाना अनिवार्य है, जबकि प्रश्नगत मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **Swaran Singh & Ors Vs State Tr. Standing Council & Anr, 2008 AIR SCW 5758** के पैरा 34 में यह अवधारित किया गया है कि–

*"34. However, a perusal of the F.I.R. shows that Swaran Singh did not use these offensive words in the public view. There is nothing in the F.I.R. to shows that any member of the public was present when Swaran Singh uttered these words, or that the place where he uttered them was a place whic ordinarily could be seen by the public. Hence in our opinion no prima facie offence is made out against appellant no. 1."*

**Hitesh Verma v. State of Uttarakhand (2020) AIR 2020 SC 5584** *में यह अवधारित किया गया है कि–*

*"The Supreme Court clarified that for a charge under Section 3(1)(r) to stand, there must be an intent to humiliate the victim precisely because of their caste, and this humiliation must be witnessed by a third party. Property or personal disputes that take place privately within a house-without the gaze of independent public witnesses-do not attract the provisions of the SC/ST Act."*

**Hutu Ansari v. State of Jharkhand (2025) SLP (Criminal) 6763 of 2023 & Gunjan @ Girija Kumari v. State (NCT of Delhi) (2026) SLP (Criminal) No 9198 of 2025** *में यह अवधारित किया गया है कि–*

*"In these highly significant rulings, the Supreme Court strongly reinforced these boundaries:*

*Requirement of Independent Witnesses: The Court ruled that the presence of independent, third-party witnesses (who are not related to the complainant or the accused and have no vested interest) is a sine qua non (an absolute essential condition) to satisfy "public view."*

*Private Settings: Caste-based abuse or arguments occurring within a private house or backyard without a "public gaze" or public presence do not meet the legal threshold of the Act. The Court emphasized safeguarding individuals against over-criminalization in purely private disputes."*

**52.** प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां व श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** के विरूद्ध वादिया व उसके पति के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उपहति पहुंचाई गयी है, जिसके फलस्वरूप उनको चोटें आयी, जिसको मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्यों से साबित किया गया है। साथ ही आरोपित अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का अपराध भी पूरी तरह साबित होता है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323,506 भा0दं0सं0 के तहत दोासिद्ध किये जाने योग्य हैं। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कोई भी अपराध अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

**53.** उपरोक्त विवेचना के आलोक में अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323,506 भा0दं0सं0 अभियोजन पक्ष उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां व श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** को आरोप अन्तर्गत धारा 323,506 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां व श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** को आरोप अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं और जमानत पर हैं, जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–07.08.2026

( हर्ष अग्रवाल )
(I.D. No.UP 6181)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
हाथरस

**07.08.2026 (लंच बाद)**

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुयी। अभियुक्तगण **चांद खां, अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं। दण्ड के प्रश्न पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वे गरीब व्यक्ति हैं, अभियुक्तगण मजदूरी इत्यादि करते हैं, स्वयं का तथा अपने परिजनों का जीवन निर्वाह करते है। यह उनका पहला अपराध है। इससे पूर्व उनकी कोई दोषसिद्धि साबित नहीं है। अनुरोध किया गया है कि उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाये।

अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के **परिपत्र संख्या 12110/एडमिन जी011 दिनांकित इलाहाबाद 11.09.2015 द्वारा परिचालित फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 772 सन 1987 सुभाष चन्द्र व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य** में पारित निर्णय का परिशीलन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दोषसिद्ध को प्रदान करे और यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो कारण अभिलिखित किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जुगल किशोर प्रति बिहार राज्य 1972 ए. आई.आर. 1522 एस.सी.** में यह स्पष्ट मत व्यक्ति किया है कि आधुनिक आपराधिक न्यायाशास्त्र इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी पैदा नहीं होता है और अधिकांश अपराध पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्थाओं **रतनलाल प्रति पंजाब राज्य 1965 ए.आई.आर 494 एस.सी. एवं कमाण्डेण्ट प्रति संजय बिंजाला में 2001 ए.आई.अर. 218 एस.सी.** में यह स्पष्ट मत व्यक्ति किया गया है कि न्यायालय द्वारा अपराधी में सुधार एवं पुनर्वास पर बल दिया जाना चाहिये।

**दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 360** में अपराधियों को परीवीक्षा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 भी अधिनियमित किया गया है। इन परीवीक्षा प्रावधानों के अवलोकन से विदित होता है कि गंभीर प्रकृति के अपराध, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के विरूद्ध अपराध तथा आर्थिक, खाद्य पदार्थ आदि से सम्बन्धित मामलों में परिवीक्षा का लाभ दोषसिद्ध को नहीं दिया जाना चाहिये। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि न्यायालय जिन मामलों में परिवीक्षा लाभ नहीं देती है, तो अपने कारणों को स्पष्ट रूप से निर्णय में अंकित करेगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 सपठित धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास के मामले में अभियुक्त को उसकी वृद्धावस्था, आयु, आचरण, आर्थिक व सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है।

उभयपक्ष के तर्कों पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। दोषीसिद्ध अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं किया गया, उनका यह प्रथम अपराध है, इससे पूर्व उनकी कोई दोषसिद्धि साबित नहीं है। अभियुक्तगण को 323,506 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है। जिनमें 07 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अभियुक्तगण द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत अभियुक्तगण को 06 माह की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

## आदेश

दोषी अभियुक्तगण **चांद खां**, **अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** को सत्र परीक्षण संख्या 32/2019, अपराध संख्या 206/2019, आरोप अन्तर्गत धारा 323,506 भा0दं0सं0 के मामले में उन्हें तुरन्त दण्डित न करके परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–4 के अन्तर्गत 06 माह की सदाचरण की

परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि 06 माह की अवधि के दौरान वे परिशान्ति कायम रखेंगे तथा सदाचारी बने रहेंगे तथा स्वयं को किसी अपराध या अवैधानिक कृत्यों में संलिप्त नहीं करेंगे।

यदि अभियुक्तगण द्वारा परिवीक्षा अधिनियम में वर्णित किसी भी परिवीक्षा की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है और स्वयं को किसी भी अपराध अथवा अवैधानिक कृत्य में संलिप्त किया जाता है, तब ऐसी दशा में सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्तगण 15 दिन के अन्दर जिला परिवीक्षा अधिकारी, हाथरस के समक्ष उपस्थित होकर उपरिवर्णित शर्तों के अधीन **पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये** की एक–एक प्रतिभू एवं स्वयं का बन्धपत्र निष्पादित करेंगे। अभियुक्तगण इस आशय की अण्डरटेकिंग इस न्यायालय में दाखिल करेंगे।

जिला परिवीक्षा अधिकारी हाथरस को निर्देशित किया जाता है कि उपरिवर्णित अवधि 06 माह तक अभियुक्तगण उपरोक्त को निगरानी में रखेंगे और उनके अथवा उनमें से किसी के प्रतिकूल आचरण के सम्बन्ध में न्यायालय को सूचित करेंगे। प्रतिकूल आचरण की आख्या प्राप्त होने की दशा में सम्बन्धित दोषसिद्ध न्यायालय में दण्डादेश प्राप्त करने हेतु समर्पण करेंगे।

अभियुक्तगण **चांद खां**, **अंशू खां** व **श्रीमती कल्लो देवी उर्फ समीम बेगम** को आरोप अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांकः–07.08.2026

( हर्ष अग्रवाल )
(I.D. No.UP 6181)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
हाथरस

Digitally signed by HARSH AGARWAL
Date: 2026.08.11 15:17:13 IST
Reason: Document Owner
Location: Special Judge S.C./S.T. Act
Hathras